सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 542 राँची, मंगलवार 29 मई, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

25 अप्रैल, 2018

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुयोग्य परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस (LPG) संयोग उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अतंर्गत आच्छादित होने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि एवं राज्य सरकार के द्वारा गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल का मूल्य वहन करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र. 01/एल.पी.जी./21-01/2018 - 1310,-- सुयोग्य परिवारों को घरेलू गैस (LPG) संयोग उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है । भारत सरकार द्वारा सिलिण्डर डिपोजिट, प्रेशर रेगूलेटर एवं हॉस पाईप आदि मद में व्यय वहन किया जाता है । खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-3262, दिनांक 18 अगस्त, 2016 एवं संकल्प संख्या-2140, दिनांक 19 मई, 2017 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किया जाता है ।

2. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत राज्य में वर्ष 2016-17 में कुल 3,47,024 लाख सुयोग्य परिवारों एवं वर्ष 2017-18 में कुल 7,42,824 लाख सुयोग्य परिवारों को मुफ्त एल०पी०जी० गैस संयोग प्रदान किया जा चुका है । जिस हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 62,37,29,344/- (रूपये बासठ करोड़ सैंतीस लाख उनतीस हजार तीन सौ चौवालीस) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 1,23,72,58,511/- (रूपये एक सौ तेईस करोड बहत्तर लाख अन्ठावन हजार पाँच सौ ग्यारह) मात्र का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है ।

3. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश को संशोधित करते हुए नया दिशा निर्देश पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.2), dated 12 मार्च, 2018 जारी किया गया है । नये दिशा निर्देश के अनुसार पूर्व से इस योजना के तहत् आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त निम्न सुयोग्य परिवारों को भी आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है जिसका व्यौरा निम्न प्रकार से उद्धृत है:-

"The selection of beneficiaries would be from the BPL families identified from the SECC list or BPL family covered under either one of the categories:

i. SC/ST Households
ii. Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)
iii. Antyodaya Anna Yojana (AAY)
iv. Forest Dwellers
v. Most Backward Classes (MBC)
vi. Tea and Ex-Tea Garden Tribes
vii. People residing in Island & river Islands

The above category of beneficiaries will be identified in consultation with the respective line Ministries and state Governments/UTs and will be considered after excluding those covered by the 14 parameters of exclusion in SECC list"

Where Definition of BPL is as follows "BPL is a person/household who suffers from at least one deprivation under the SECC 2011 database or who belongs to one of the categories mentioned as above (i) to (vii).

4. इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 तक देश के आठ करोड़ सुयोग्य परिवार जो SECC-2011 (Rural) Database में विनिर्दिष्ट किसी एक deprivation की श्रेणी अथवा उपरोक्त वर्णित श्रेणी में आते हैं, उन परिवारों को धुआँ रहित स्वच्छ इंधन देने की प्रक्रिया के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत घरेलू गैस का संयोग दिया जाना प्रस्तावित है । इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभुक परिवार जिनके पास पूर्व से कोई गैस संयोग नहीं है, उन परिवारों के एक महिला के नाम से गैस संयोग उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी । इस योजना का क्रियान्वयन समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

6. राज्य सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों की भाँति ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किया जायेगा ।

7. तेल विपणन कम्पनियों द्वारा गैस संयोजन के पश्चात् लाभुकों से संबंधित सूचनाएँ एवं विपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी । तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल का मूल्य के अनुरूप तेल कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र में वर्णित राशि का भुगतान खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा संबंधित तेल विपणन कम्पनियों को कराया जायेगा ।

8. वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 13.50 लाख सुयोग्य परिवारों को राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् घरेलू गैस संयोग उपलब्ध कराया जाना है जिस पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2,24,00,00,000/- (दो सौ चौबीस करोड़ रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। वर्तमान में इतनी राशि का बजटीय आवंटन उपलब्ध है ।

9. वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 12 लाख सुयोग्य परिवारों को राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् घरेलू गैस संयोग उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है जिस पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1,98,00,00,000/- (एक सौ अन्ठानबे करोड़ रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है ।

10. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3262, दिनांक 18 अगस्त, 2016 एवं संकल्प संख्या-2140, दिनांक 19 मई, 2017 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

11. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 24 अप्रैल, 2018 की बैठक के मद संख्या- 04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डा॰ अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 542 -- 100